राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1033/2024

मोनिका चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. हितेश शर्मा, बीपी लैब, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2024
आदेश की दिनांक : 18.03.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, केविएटर

आदेश

मामले की आवश्यकता प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर बीपी लैब, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बीपी लैब, जयपुर से प.चि. बडवा, बस्सी, जयपुर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर लगाया गया था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.02.2024 द्वारा बीपी लैब से पशु चिकित्सालय बडवा, बस्सी, जयपुर में पशु चिकित्सा सहायक के पद के विरूद्ध स्थानान्तरित किया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या–4 भी पशु चिकित्सा सहायक के पद के विरूद्ध पशु चिकित्सालय बडवा, बस्सी, जयपुर में कार्यरत था। उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी को पशुधन सहायक के पद के बिना पशुधन सहायक के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया, जो राजस्थान सेवा नियम के नियम, 20 का उल्लंघन है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण दो वर्ष

की सेवा पूर्ण किए बिना नहीं किया जाएगा लेकिन अपीलार्थी को 1 वर्ष 6 महीने की अवधि के भीतर स्थानान्तरण नीति के विपरीत स्थानान्तरित कर दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य